Case No.   /2022-A

DECLARATION

I, Shri/Smt……………………..…………………………………………..do hereby affirm and declare as under:-

1) That to the best of my knowledge and belief I have placed all the relevant facts before the Council and that no proceedings are pending in any court of law in respect of any matter alleged in the complaint;

2) That I shall inform the Council forthwith if during the pendency of the inquiry before the Council any matter alleged in the complaint becomes the subject matter of any proceedings in a court of law.

Dated: **(Signature of the Complainant)**

Address…………………………………….

.................……………………………….

...……..........……………………………….

NOTE: **this declaration is required under Section 14(3) of the Press Council Act, 1978 read with Regulation 3(2) of the Press Council (Procedure for Inquiry) Regulations, 1979. The complainant is requested to sign the declaration if the matter is not sub-judice and send it back to the Council for record.**

Section 14(3)

"Nothing in sub-section (1) shall be deemed to empower the Council to hold any inquiry into any matter in respect of which any proceeding is pending a court of law."

केस संख्या: /2022ए

<u>घोषणा</u>

मैं, श्री/श्रीमती ..... शपथपूर्वक निम्नलिखित उदघोषणा करता/करती हूँ: -

1. यह कि मैंने अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार परिषद् के समक्ष सुसगंत तथ्य प्रस्तुत कर दिये हैं और परिवाद में अभिकथित किसी विषय के सम्बन्ध में किसी न्यायालय मैं कोई कार्यवाही लम्बित नहीं हैं;

2. यह कि यदि परिषद् के समक्ष जाँच लम्बित रहने के दौरान परिवाद में अभिकथित कोई विषय किसी न्यायालय में चल रहीं किसी कार्यवाही की विषयवस्तु हो जाता है तो मैं उसकी सूंचना परिषद् को तुरन्त दूंगा/दूंगी ।

दिनांक..... (शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर)

निवासः

टिप्पणीः यह घोषणा प्रेस परिषद् के अधिनियम 1978 की धारा 14(3) के साथ पठित प्रेस परिषद् की (जांच प्रक्रिया) विनियम, 1979 के विनियम 3(2) के अन्तर्गत मांगी जा रही हैं । शिकायतकर्ता से अनुरोध है कि यदि उक्त विषय किसी न्यायालय के समक्ष लम्बित नहीं है तो वह इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके परिषद् को वापिस भेज दें।

धारा 14(3)

"उपधारा (1) की किसी भी बात से यह नहीं समझा जाए कि परिषद् को किसी ऐसे मामले में जाँच करने की शक्ति प्रदान करती है जिसके बारे में कोई कार्यवाही किसी न्यायालय में लम्बित हों ।"